न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/82

प्रेम चन्द आयु 65 वर्ष आत्मज श्री भुवाना जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भुवाना आत्मज मोटा जाति माली निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. दुर्गाशंकर आत्मज दीपा जाति माली निवासी घाणा का पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. दुर्गालाल आत्मज हरला जाति माली निवासी घाणा का पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. हीरा बाई पत्नी हरला जाति माली निवासी घाणा का पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. जगन्नाथ आत्मज भूरा जाति माली निवासी घाणा का पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. उदा आत्मज भूरा जाति माली निवासी घाणा का पाडा हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. रामपाल आत्मज सोहन लाल जाति माली निवासी शिवराज नगर हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. जितेन्द्र आत्मज सोहन लाल जाति माली निवासी शिवराज नगर हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. कन्हैयालाल आत्मज सोहन लाल जाति माली निवासी शिवराज नगर हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
10. हेमन्त आत्मज सोहन लाल जाति माली निवासी शिवराज नगर हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द्र नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 3293, 3302, 3303, 3304, 3305, 3497, 3497/5982, 3497/5983, 3497/5984, 3766, 3767, 3770, 3773, 3775, 3781, 3784, 3799, 3807, 3810, 3811, 3814, 3815 व 3816 कुल किता 23 कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । आराजी खसरा नम्बर 3775 रकबा 05 बीघा भूमि पर वादी अपने पिता के जीवनकाल के समय से गत 50 वर्षों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि आराजी खसरा नम्बर 3775 रकबा 05 बिस्वा भूमि वाके ग्राम हिण्डोली का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व कैम्प में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट का जवाब ओने के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2014 को उक्त वाद में तनकीयात कायम की गई एवं पत्रावली दिनांक 14.08.2014 को साक्ष्य वादी हेतु तारीख पेशी नियत की गई उसके बाद दिनांक 18.05.2015 को उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत में दिनांक 15.07.2015 को नियत रख दिया । पत्रावली साक्ष्य में विचाराधीन थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिनांक 15.07.2015 को राजस्व लोक अदालत में निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जब कि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान विधिवत राजीनामा पेश करें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार कृषक बन गये हैं । वादी अपीलान्ट ने आराजी को समतल करके कृषि योग्य बनाया है । वादी अपीलान्ट और प्रतिवादीगण की भूमियॉ अलग–अलग कर दी थी । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के चाह से सिंचित हो रही है । अधीनस्थ न्यायालय में इन तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्ट ने हक घोषणा का दावा पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा आने पर तनकीयात कायम की गई और साक्ष्य वादी में लम्बित था । इसके बाद इसे राजस्व लोक अदालत में

यह कि भूमि खसरा संख्या 3775 रकबा 0.05 बीघा पर वादी/अपीलाण्ट अपने पिता के

रखा गया और राजस्व लोक अदालत में रखने की सूचना वादी अपीलान्ट को नहीं दी गई और दावा वादी उसी दिन बिना वादी की साक्ष्य का अवसर प्रदान किये खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी की पालना नहीं की गई । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के विद्धान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया है । कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था तथा दावे में मुख्य रूप से उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3775 रकबा 05 बीघा भूमि पर कब्जा मुखालफ़ाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 5 व 6 ने दावे को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया था । पत्रावली साक्ष्य वादी लम्बित थी तथा दिनांक 15.07.2015 को राजस्व लोक अदालत में रखा गया । राजस्व लोक अदालत में पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ और इसी दिन दावा वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । वादी के द्वारा उक्त वाद प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हक घोषणा का पेश किया गया है ऐसी स्थिति में हम उचित समझते हैं कि यह प्रारम्भिक तनकी कायम की जावे कि – **'आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है '– भार वादी पर ।** इस तनकी को प्रारम्भिक एवं कानूनी तनकी के रूप में तय कर दावे का निस्तारण किये जाने हेतु हम उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत वाद में प्रारम्भिक एवं कानूनी तनकी कायम की जावे कि – **आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है '– भार वादी पर ।** इस तनकी को कानूनी तनकी के रूप में निर्णित करते हुए वाद को 02 माह के अन्दर निर्णित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.09.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.8.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा